न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/257/2013

उनवान

1. श्रीमती गीता पुत्री मांगीलाल ढोली पत्नि राधेश्याम ढोली निवासी जामोला तहसील मसूदा जिला अजमेर
2. श्रीमती सम्पति देवी पुत्री मांगीलाल ढोली पत्नि घनश्याम दमामी निवासी जामोला तहसील मसूदा जिला अजमेर

अपीलाण्ट्स/वादीगण

बनाम

1. दामोदर पुत्र मांगीलाल दमामी निवासी लाम्बा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. भॅवर लाल पुत्र शंकर लाल दमामी निवासी आमली तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. चन्द्रप्रकाश पुत्र शंकर लाल दमामी निवासी आमली तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
4. श्रीमती कौशल्या पुत्री शंकर लाल पत्नि लादू दमामी निवासी डोरिया कला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
5. श्रीमती कमला पुत्री शंकर लाल पत्नि भैरू दमामी निवासी मादेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट्स /प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 351/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.5.2013

अधिवक्तागण :–

1. श्री राजेश मेहता, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री रेखा चौहान ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 5

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 11.9.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर 289 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 290 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 295 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 590 रकबा 16 बिस्वा जुमला कीता 4 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा स्थित है। मांगीलाल जी का सजरा निम्न प्रकार है:–

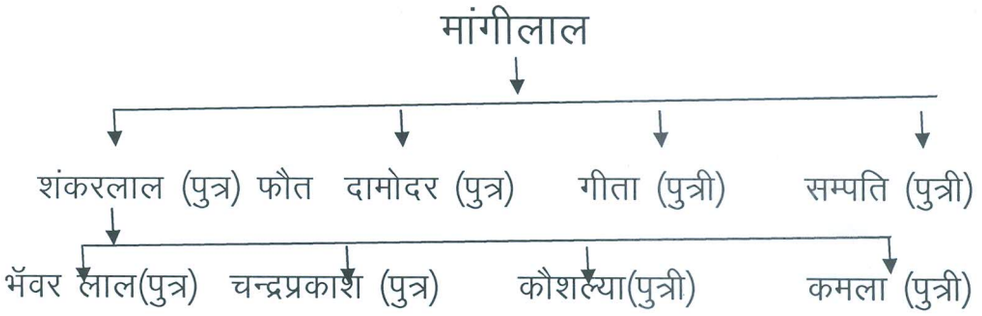

2. उक्त आराजियात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के दादा श्री मांगीलाल दमामी (ढोली) के नाम पर दर्ज थी और उनकी मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 2 से 5 के वली शंकर लाल ने वादीगण से छिपाते हुए उक्त सम्पूर्ण आराजियात का इन्तकाल अपने नाम पर खुलवा लिया जबकि उक्त आराजियात में वादी नम्बर 1 का 1/4 हिस्सा, वादी नम्बर 2 का 1/4 हिस्सा निहित है और इसी हक हिस्से अनुसार सम्मिलित रूप से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 काबिजकाश्त व उपयोग उपभोग करते चले

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आ रहे हैं तथा इसी हक हिस्से अनुसार उक्त आराजियात को वादीगण अपने खाते में खातेदारी हक की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी नम्बर 1 अपने खाते के बल पर व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 अपने नाम पर नामान्तरकरण खुलवा कर उक्त आराजियात को अन्य को अन्तरण व उसका पंजीयन कराने को आमादा हैं तथा वादीगण के हक हिस्से में नाजायज तौर पर हस्तक्षेप करते हैं तथा मना करने पर लडाई झगडा करने पर उतारू होते है। यह रवैया उन्होनें दिनांक 6.7.2010 से जारी कर रखा है। अतः वादग्रस्त आराजियात में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादी नम्बर 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का 1/4 हक हिस्सा घोषित कराते हुए खातेदारी हक से दर्ज कराये जाने की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण पारित की जावे एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं उक्त आराजियात में वादीगण के हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व हस्तक्षेप न करें एवं न ही किसी अन्य से करावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीगण का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण/वादीगण को उनके अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं दी एवंज ब अपीलार्थीगण स्वयं गुलाबपुरा गये और अपने वकील से मिले तब जाकर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी उनके वकील ने दी कि प्रकरण अदम साक्ष्य में खारिज हो चुका है। जिस पर अपीलार्थीगण ने निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने न्यायिक उद्धरण आर बी जे (1) 1994 पेज 287, आर बी जे (15) 2008 पेज 693 की ओर ध्यान आकर्षित कर अपील में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु निवेदन किया ।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 8.8.2011 को तनकियात कायम की गई उसके बाद उक्त पत्रावली साक्ष्य वादीगण हेतु नियत की गई थी मगर उक्त प्रकरण में वादीगण के वकील ने वादीगण को यह कह रखा था कि आपको हर पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है और जब भी प्रकरण साक्ष्य में मुकर्रर होगा तब आपको सूचित कर दिया जायेगा मगर उन्होंने अपीलार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी । जिससे अपीलार्थीगण के विरूद्ध वाद अदम साक्ष्य, सबूत में खारिज कर दिया गया । अधिवक्ता की लापरवाही की सजा पक्षकार को नहीं दी जानी चाहिये।

7. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात अपीलार्थीगण के पिता के समय की है जिसमें अपीलार्थीगण का हक हिस्सा निहित है। अपीलार्थीगण अधिवक्ता की लापरवाही से अपनी ओर से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

साक्ष्य, प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे वे न्याय प्राप्त करने से वंचित रह गये हैं। इसलिए न्याय की दृष्टि से अपीलार्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाये। स्वयं प्रतिवादीगण ने जवाब में अपीलार्थीगण को मांगी लाल जी की पुत्रियॉ होना स्वीकार किया है। वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीगण के पिता की आराजियात है। जिसमें उनका हक हिस्सा निहित है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण को अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

8. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलाण्ट को समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधिसम्मत है। उनका यह भी निवेदन है कि सन् 2005 से पूर्व पुत्रियों को सम्पति में अधिकार प्राप्त नही था एवं मांगीलाल अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु सन् 1968 में ही हो चुकी है। इसलिए भी पुत्रियों को सम्पति में अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलाण्ट गीता एवं सम्पति का विवाह सन् 1960 से पूर्व हो चुका था । दोनों विवाह के बाद ससुराल में ही निवास कर रही है। उक्त आराजी पर अपीलाण्ट का कभी भी कब्जाकाश्त नहीं रहा है। बिना कब्जे के घोषणा का वाद लाने का अधिकार नहीं है।

9. अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पूर्ण जानकारी थी। उसके बावजूद निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुंत नहीं की है। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

11. अपीलार्थीगण ने मौजा लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर 289 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 290 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 295 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 590 रकबा 16 बिस्वा जुमला कीता 4 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा अपने पिता मांगी लाल आत्मज गोविन्द राम की होने का कथन किया एवं अपने कथनों की ताईद में जमाबंदी ग्राम लाम्बा तहसील हुरडा संवत 2033 से 2036 प्रस्तुत की है। मांगी लाल जी की मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त आराजियात विरासत से उनके जायन्दा लडके शंकर व दामोदर के नाम पर दर्ज की गई। जवाब दावे में प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें कलम संख्या 2 में वाद पत्र में दर्शित सजरे को स्वीकार किया है। एवं गीता व सम्पति की शादी 1960 से पूर्व होना व उसके बाद ससुराल में रहने का कथन अंकित किया है। इस प्रकार स्वयं प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण को मांगी लाल की पुत्री होने का तथ्य स्वीकार किया है। वादग्रस्त आराजियात मांगी लाल जो कि अपीलार्थीगण के पिता हैं के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसमें अपीलार्थीगण ने अपना हक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हिस्सा होने का दावा करते हुए विभाजन एवं खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया था। चूंकि अपीलार्थीगण का कथन है कि उनके अधिवक्ता द्वारा उन्हें सूचित नहीं किया गया एवं उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय में नहीं मिल पाया था। इस आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन अपीलार्थीगण ने किया है। चूंकि मूल वाद में पक्षकारों के हक हितों का अंतिम तौर पर निस्तारण उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, राजस्व रेकार्ड, दस्तावेज का अवलोकन करने के उपरान्त किया जाता है। अपीलाधीन मामलें में अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं मिल पाया था। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

12. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.5.2013 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य दस्तावेज, प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31/10/18 को उपस्थित रहें।

13. निर्णय आज दिनांक 11.9.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

11/9/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा